क्रम संख्या–10 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 ई0

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 10/XXXVI(3)/2018/50(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2016) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए:–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) **"मूल अधिनियम"** से उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

धारा 35 की अंत:स्थापना किया जाना

3. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 34 के बाद धारा 35 को निम्नवत् अंत:स्थापित किया जायेगा–

प्रथम कुलपति की संक्रमणकालीन शक्तियां

35(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः माह अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्देशित एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के परिषद् और अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रथम कुलपति का होगा।

(2) प्रथम कुलपति कुलाधिपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियम बनायेगा।

(3) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह सरकार के लिए तुरन्त आवश्यक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन के लिए अग्रेषित करें।

(4) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी और मूल अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से गठित प्राधिकारी के समय तक प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी समिति का गठन अस्थाई रूप से करेगा और वह ऐसे अधिकारी की किसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया था।

2. उक्त अधिनियम की धारा–1(1) एवं (2), धारा–2(1) तथा धारा–3 की 35(1), (2), (3), (4) में किये गये प्रावधान के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत उक्त धारा को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ. धन सिंह रावत
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधायी/42–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।